

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला – खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक-कार्यालय-(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2025 / 5399
प्रति,

बड़वाह, दिनांक 17-6-2025

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना,
क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वनमण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्र./FP/MP/ROAD/152561/ 2022)

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दि. 09.06.25
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1161/E-0145/2025/1587 भोपाल, दिनांक 10.06.2025

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2024 के द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुक्रम में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण के लिए वनमण्डल बड़वाह की 3.20 हे. आरक्षित वनभूमि उपयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 7 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

बिन्दु क्रमांक	विवरण
(i)- In compliance of condition no. (i). (x), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), (xxxii), (xxxiii), (xxxiv), (xxxv). (xxxvi), (xxxvii). (xxxviii), (xxxix) the user agency has not submitted the undertaking.	भारत सरकार के संदर्भित पत्र की शर्त क्रमांक-(i) के अनुपालन में (x), (xii), (xiii), (xv), (xvi), (xx), (xxi), (xxii), (xxiii), (xxvi), (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), (xxxii), (xxxiii), (xxxiv), (xxxv). (xxxvi), (xxxvii). (xxxviii), (xxxix) वचनबद्धता प्रस्तुत करें।
(ii)- In compliance of condition no. (ii), the User Agency has deposited an amount of Rs. 1,53,24,480/-in CAMPA account towards Penal NPV. However, as per the details provided the violation has been done over an area of 3.199 ha. Moreover, the proposed area for diversion is having Density 0.2 and Eco-Class -V and NPV rates for the same is Rs. 10,05,210/- per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 1.60,78,334/- as Penal NPV. However user agency has deposited Rs. 1,53.24,480/-. Therefore, the User agency needs to deposit Rs. 7,53,854 /- balance amount towards Penal NPV online in CAMPA account.	शर्त क्रमांक (ii) के अनुपालन में दण्डात्मक एन.पी.व्ही. के लिए कैम्पा खाते में राशि रुपये 1,53,24,480/- जमा की गई है। उल्लंघन विवरण के अनुसार 3.199 हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है, इसके अलावा डायवर्सन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 0.2 Eco-Class-V है। एन.पी.व्ही. की संशोधित दर 10,05,210/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसलिए उपयोगकर्ता एजेंसी को दण्डात्मक एन.पी.व्ही. के रूप में राशि रुपये 1,60,78,334/- जमा किये जाने की आवश्यकता है। आपके द्वारा राशि रुपये 1,53,24,480/- जमा किये गये हैं। शेष राशि रुपये 7,53,854/- कैम्पा खाते में ऑनलाईन जमा करवाकर यू.टी.आर. नंबर, दिनांक से इस कार्यालय को अवगत करावें।

<p>(iii)- In compliance of condition no. (iii), the State Government has not submitted Action Taken Report under section 3A/3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the violation of the Adhiniyam.</p>	<p>शर्त क्रमांक (iii) के अनुपालन में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-3(A) के तहत एन.एच. ए.आई. कियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कक्ष क्रमांक 291 में लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौड़ाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाड़ी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सड़क मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार वन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्र./2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42873 वसूल की गई। वनक्षेत्र में बिना सैद्धांतिक/औपचारिक अनुमति के कार्य प्रारंभ किया गया है वहां आवेदक संस्था पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।</p> <p>वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 की धारा -3(A)/3(B) के तहत कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार/दोषी नहीं है क्योंकि अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अवैध कार्य संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई।</p>
<p>(iv)- In compliance of condition no. (vi), the State has informed that it was decided to reduce the 0.938 Ha. which was not under the violation from the subject proposal no. FP/MP/Road/152561/ 2022 and a separate proposal for 0.938 ha was applied in the Khandwa Forest division under forest proposal FP/MP/Road/433187/ 2023. However, as per information available in the proposal, the building already stands constructed on 0.938 ha forest land. The State shall therefore examine the matter and initiate action under section 3A and/or 3B of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as may be applicable for violation of the provisions of the said Adhiniyam against such person or authority or organization, prima-facie found responsible for the violation;</p>	<p>वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा से संबंधित।</p>
<p>(v)- In compliance of condition no. (v), the detailed animal passage and mitigation plan duly approved by the Chief Wildlife Warden along with the details of fund deposited online in CAMPA account has not been submitted.</p>	<p>शर्त क्रमांक (v) के अनुपालन में आवेदक संस्था द्वारा मापदण्ड संख्या (v) के अनुपालन में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालन द्वारा अनुमोदित विस्तृत पशु मार्ग एवं शमन योजना तैयार की जाकर अनुमोदित राशि कैम्पा खाते में ऑनलाईन जमा कराई जावे।</p>
<p>(vi)- In compliance of condition no. (viii), the user agency has deposited Rs. 30,64,896/- towards NPV. However, the proposed area for diversion is having Density 0.2 and Eco-Class V and NPV rates for the same is Rs. 10,05,210/-per ha as per revised rates. Therefore the user agency needs to deposit Rs. 32,16,672/- against NPV. However the user agency has deposited an amount of Rs. 30,64,896/- against NPV. Therefore the user agency needs to deposit the balance amount of Rs. 1,51,776/- towards NPV online in CAMPA account.</p>	<p>शर्त क्रमांक (vi) के अनुपालन में आपके द्वारा एन.पी.व्ही के लिए राशि रुपये 30,64,896/- रु. जमा किये गये है। हालांकि डायवर्सन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र घनत्व 0.2 Eco Class-V है। एन.पी.व्ही की संशोधित दर 10,05,210/- रुपये प्रति हेक्टेयर है। इसलिए आपको एन.पी.व्ही. के लिए राशि रुपये 32,16,672 जमा किया जाना था। आपके द्वारा एन.पी.व्ही. के लिए राशि रुपये 30,64,896/- जमा किये गये है। शेष राशि 1,51,776/- कैम्पा मद में ऑनलाईन जमा की जाकर यू.टी.आर. नंबर, दिनांक की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।</p>

(vii)- In compliance of condition no. (xiv), the User agency has not submitted a detailed scheme for soil conservation measures along with the details of the funds deposited online in CAMPA account.

शर्त क्रमांक (vi) के अनुपालन में मृदा संरक्षण उपायों के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत करें। जिसका अनुमोदन उपरांत राशि कैम्पा मद में ऑनलाई जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सलग्न:- संदर्भित पत्रों की छायाप्रति।



(अनुराग तिवारी)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बडवाह

बडवाह, दिनांक 17-6-2025

पृष्ठा.क्रमांक/मा.चि./2025/ 5400

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आपके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल बडवाह